रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 189] नई दिल्ली, बुधवार, मई 27, 2015/ज्येष्ठ 6, 1937
No. 189] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 27, 2015/JYAISTHA 6, 1937

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

शुद्धिपत्र

(मई 2015 के 15वें दिन पारित)

मुम्बई, 21 मई 2015

सं. टीएएमपी/57/2012–एनएमपीटी.—इस प्राधिकरण ने जेट्टी सं. 10 की घाटशुल्क दर 1 अप्रैल 2009 से 15 अक्तूबर 2009 अवधि और जेट्टी सं. 11 की घाटशुल्क दर 1 अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2011 तक के लिए घाटशुल्क के निर्धारण हेतु न्यू मेंगलूर पत्तन न्यास से प्राप्त प्रस्ताव सं संबंधित मामला सं. टीएएमपी/57/2012–एनएमपीटी में एक आदेश दिनांक 4 अगस्त 2014 पारित किया था। यह आदेश 9 सितम्बर 2014 को राजपत्र सं. 264 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण (भाग–III, खण्ड 4) में अधिसूचित किया गया था।

2. उक्त राजपत्र प्रति के हिन्दी पाठ में पृष्ठ सं. 13, 23 और 28 तथा अंग्रेज़ी पाठ के पृष्ठ सं. 45 तथा 50 में कुछ मुद्रण संबंधी त्रुटियां/चूक पाई गई हैं।

3.1. उपर्युक्त के मद्देनजर, मुद्रण संबंधी त्रुटियों को सही करने के लिए उक्त अधिसूचना में निम्नलिखित शोधन किए गए हैं:

हिन्दी पाठ में:

(i). पृष्ठ सं. 13 पर पैरा सं. 11.3 में, तालिका के ऊपर बायें कोने में "वर्ष 2009–10 के लिए" शब्दावली और दायें कोने में "(रु0 करोड़ में) शब्दावली मुद्रित नहीं की गई है। इसलिए, पृष्ठ सं. 13 पर पैरा सं. 11.3 में तालिका के ऊपर बायें कोने में "वर्ष 2009–10 के लिए" शब्दावली और दायें कोने में "रु0 करोड़ में) शब्दावली शामिल की गई हैं।

(ii). पृष्ठ सं. 23 पर, पैरा सं. 13 के विश्लेषण के नीचे उप–बिन्दु सं. (क) में तालिका के ऊपर दायें कोने में "(राशि लाख में)" शब्दावली मुद्रित नहीं की गई है। इसलिए, पृष्ठ सं. 23 पर पैरा सं. 13 (viii) के विश्लेषण के नीचे उप–बिन्दु सं. (क) में तालिका के ऊपर दायें कोने में "(राशि लाख में)" शब्दावली शामिल की गई है।

(iii). पृष्ठ सं. 28 पर, तालिका के ऊपर दायें कोने में "(रु0 लाख में) शब्दावली मुद्रित नहीं की गई है। इसलिए, पृष्ठ सं. 28 पर संलग्नक–1(ख) में तालिका के ऊपर दायें कोने में "(रु0 लाख में) शब्दावली शामिल की गई है।

अंग्रेज़ी पाठ में:

(i). पृष्ठ सं. 45 पर, विश्लेषण के नीचे अनुच्छेद सं. 13 (viii) उप–बिन्दु (क) में तालिका के ऊपर दायें कोने में ''(राशि लाखों में)'' शब्दावली मुद्रित नहीं की गई है। इसलिए, पृष्ठ सं. 45 पर विश्लेषण के नीचे अनुच्छेद सं. 13 (viii) उप–बिन्दु (क) में तालिका के ऊपर दायें कोने में ''(राशि लाखों में)'' शब्दावली शामिल की गई है।

(ii). पृष्ठ सं. 50 पर, तालिका के ऊपर दायें कोने में ''अनुबंध–I (ख)'' शब्दावली मुद्रित नहीं की गई है। इसलिए, पृष्ठ सं. 50 में तालिका के ऊपर दायें कोने में ''अनुबंध–I (ख)'' शब्दावली शामिल की गई है।

टी. एस. बालासुब्रह्मण्यन, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन–III/4/असा./143/2015(84)]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

CORRIGENDUM

(Passed on this 15th day of May 2015)

Mumbai, 21st May 2015

No. TAMP/57/2012-NMPT.—This Authority had passed an Order dated 4 August 2014 in Case No.TAMP/57/2012-NMPT relating to proposal received from the New Mangalore Port Trust for fixation of the wharfage rate of Jetty No.10 for the period from 1 April 2009 to 15 October 2009 and for Jetty No.11 for the period from 1 April 2009 to 31 March 2011. This Order was notified in the Gazette of India Extraordinary (Part III Section 4) on 9 September 2014 vide Gazette No.264.

2. A few printing errors / omissions are observed in the Hindi Version of the said Gazette Copy at page nos.13, 23 and 28 and in English Version at page nos.45 and 50.

3.1. In view of above, the following corrections are made in the said Gazette Notification to rectify the printing errors:

In Hindi Version:

(i). At page no.13 at para no.11.3, the words **"वर्ष 2009–10 के लिए"**at left corner and the words **"(रु. करोड़ में)"** at right corner above the table are not printed. **Hence, the words "वर्ष 2009–10 के लिए"at left corner and the words "(रु. करोड़ में)" at right corner above the table at para no.11.3 at page no.13 are incorporated.**

(ii). At page no.23, sub-point no.(क) under विश्लेषण of para no.13 (viii) the words **"(राशि लाख में)"** at right corner above the table is not printed. **Hence, the words "(राशि लाख मे)" at right corner above the table at sub-point no. (क) under विश्लेषण of para no.13 (viii) at page no.23 is incorporated.**

(iii). At page no.28, in संलग्नक–1(ख) the words **"(₹ लाख में)"** at right corner above the table is not printed. **Hence, the words "(₹ लाख में)" at right corner above the table in संलग्नक–1(ख) at page no.28 is incorporated.**

In English Version:

(i). At page no.45, paragraph no.13 (viii) sub-point (a) under Analysis the words **"(Amount in lakhs)"** at right corner above the table is not printed. **Hence, the words "(Amount in lakhs)" at right corner above the table at paragraph no.13 (viii) sub-point (a) under Analysis at page no.45 is incorporated**

(ii). At page no.50, right corner above the table the words **"Annex-I (b)"** is not printed. **Hence the words "Annex-I (b)" at right corner above the table at page no.50 is incorporated.**

T.S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT-III/4/Exty./143/2015(84)]

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.